



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 26.02.2023

थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलान्स की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0

13/2020 धारा 420/406 भादवि व मु0अ0सं0 52/22 धारा

147/323/342/420/504/506 भादवि में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी

अभियुक्त नीरज को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.03.2022 को थाना रमाला पर वादी श्री विनोद कुमार पुत्र नफे सिंह निवासी ग्राम इब्राहिमपुर माजरा थाना रमाला ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आसिफ पुत्र अब्बास ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला, 2.नीरज पुत्र राजकुमार निवासी कस्बा एलम थाना कांधला जनपद



शामली, 3.सतीश पुत्र बनवारी उर्फ बनारसी निवासी शास्त्री नगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद, 4.वसीम पुत्र नन्हे खां निवासी सब्जी मण्डी चौक सोम बाजार रोड थाना जगतपुरी शाहदरा दिल्ली, 5.दुरविजय व 6.अरुण पुत्र गोरधन निवासी ग्राम नौना थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर ने वादी की नौकरी लगवाने के नाम पर वादी से 08 लाख

रूपये ले लिये व रूपये वापस मांगने पर वादी को बंधक बनाकर गाली-गलौच करते हुए मारपीटल की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु०अ०सं० 52/22 धारा 147/323/342/420/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अरुण उर्फ विद्या को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं इनामी/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलान्स की संयुक्त टीम द्वारा थाना रमाला के मु०अ०सं० 13/2020 धारा 420/406 भादवि व मु०अ०सं० 52/22 धारा 147/323/342/420/504/506 भादवि में वांछित चल रहे 25 हजार रूपये के इनामी अभियुक्त नीरज को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त नीरज की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रमाला पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम एलम थाना कांधला जनपद शामली।

हाल पता चारबाग रेलवे जक्शन बडी लाईन लखनऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 171/18 धारा 420/323/504/506 भादवि चालानी थाना रमाला जनपद बागपत।

2-मु०अ०सं० 320/19 धारा 394/411 भादवि चालानी थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ।

3-मु०अ०सं० 326/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि० भादवि चालानी थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ।

4-मु०अ०सं० 13/20 धारा 406/420 भादवि चालानी थाना रमाला जनपद बागपत।

5-मु०अ०सं० 13/21 धारा 174ए भादवि चालानी थाना रमाला जनपद बागपत।

6-मु०अ०सं० 52/22 धारा 147/323/342/420/504/506 भादवि चालानी थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना रमाला ।
- 2-है0का0 376 राजीव कुमार थाना रमाला ।
- 3-का0 08 अनुज कुमार सर्विलान्स सैल बागपत ।